

संचिका संख्या -8/धिविध 12-14/08 का0-

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

संकल्प संख्या :-

पटना, दिनांक :- 2.6.09

विषय:- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का गठन ।

संकल्प संख्या 13512 दिनांक 24.12.2008 द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन का गठन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीन एक निदेशालय के रूप में करने का निर्णय लिया गया था ।

दिनांक 16.02.2009 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्टेयरिंग कमिटी की बैठक में यह निर्णय हुआ कि उक्त प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम, मिशन निदेशालय के माध्यम से कार्यान्वित न करते हुये इसको एक निबंधित सोसाइटी के माध्यम से कार्यान्वित करने की आवश्यकता है ताकि उचित निर्णय शीघ्र एवं सुदृढ़ तरीके से लिया जा सके ।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में पूर्व निर्गत संकल्प संख्या 13512 दिनांक 24.12.2008 को रद्द करते हुये राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है कि डी.एफ.आई.डी. द्वारा वित्त पोषित प्रशासनिक सुधार कार्यक्रम का कार्यान्वयन बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के माध्यम से कराया जाय ।

उक्त बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी का स्वरूप निम्नवत होगा :-

1. उक्त सोसाइटी का नाम बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी होगा । राज्य सरकार उक्त सोसाइटी को प्रायोजित करती है ।

2. बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के उद्देश्य निम्नवत हैं :-

- क. राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था एवं मानव संसाधन को दक्ष, प्रभावी एवं जिम्मेदार बनाना
- ख. लोक सेवकों की कार्यक्षमता, अभिप्रेरणा एवं कार्यकुशलता का विकास करना ।
- ग. जनता को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना एवं
- घ. सुशासन केन्द्र स्थापित करना ।

3. प्रबंधन की संरचना :-

(A) उक्त सोसाइटी के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी शासी परिषद की होगी जिसका गठन निम्नवत होगा :-

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| क. मुख्य सचिव | - अध्यक्ष |
| ख. विकास आयुक्त | - उपाध्यक्ष |
| ग. महानिदेशक, बिपार्ड | - सदस्य |
| घ. प्रधान सचिव, वित्त विभाग | - सदस्य |
| ङ. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग | - सदस्य |
| च. सचिव, विधि विभाग | - सदस्य |
| छ. सचिव, का0एवंप्र0सु0 विभाग | - सदस्य |
| ज. अपर मिशन निदेशक | - सदस्य |
| झ. मिशन निदेशक | - सदस्य सचिव |

उक्त शासी परिषद को राज्य सरकार द्वारा सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये एवं सोसाइटी के कार्य के संचालन के लिये सोसाइटी के बाईलॉज के आलोक में कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

(B) उक्त सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी मिशन निदेशक होंगे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव स्तर के पदाधिकारी होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। वे सोसाइटी के अधीन सोसाइटी की नियमावली एवं शासी परिषद के निदेशों के आलोक में अपने कार्यों का सम्पादन करेंगे। उनके अधीन एक अपर मिशन निदेशक रहेंगे जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

जब तक पूर्णकालिक मिशन निदेशक नहीं नियुक्त हो जाते हैं तब तक सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग उक्त पद पर कार्य करेंगे। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग राज्य सरकार की सोसाइटी का प्रशासी विभाग होगा।

(C) उक्त सोसाइटी का कार्यकाल 6 साल (वर्ष 2008-14) का होगा। डी.एफ.आई.डी. के द्वारा 3 साल के अंत में मिशन के कार्यों की समीक्षा के उपरांत अगले 3 साल के लिये मिशन के कार्यों का अवधि विस्तार किया जायेगा।

4. वित्तीय प्रबंधन :-

डी.एफ.आई.डी. के द्वारा 6 वर्षों के लिये मिशन हेतु 18 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की राशि स्वीकृत की गयी है। यह निधि वित्तीय सहायता (एफ.ए.) एवं तकनीकी सहायता (टी.ए.) के रूप में प्राप्त होगी। वित्तीय सहायता (एफ.ए.) के रूप में 6 वर्ष के लिये 13 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग अनुदान के रूप में प्राप्त होगा। इस राशि का व्यय उक्त सोसाइटी के द्वारा किया जायेगा। तकनीकी सहायता (टी.ए.) में 5 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग राशि प्राप्त होगी। इस राशि को डी.एफ.आई.डी. के द्वारा खर्च किया जायेगा।

(i) वित्तीय सहायता(एफ.ए.)की राशि मिशन सोसाइटी के द्वारा अलग से राष्ट्रीय बैंक में खाता खोलकर रखी जायेगी जिसको संचालन के लिये विस्तृत निदेश शासी परिषद द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(ii) वित्त विभाग द्वारा, सोसाइटी को निर्धारित बजट के आलोक में, कार्मिक विभाग को बजटीय उपबंध उपलब्ध करवाया जायेगा। कार्मिक विभाग उसको सहायक अनुदान के रूप में सोसाइटी को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करवायेगा। सोसाइटी द्वारा निर्गत उपयोगिता प्रमाणपत्र के आधार पर प्रतिपूर्ति दावा कार्मिक विभाग वित्त विभाग में भेजेगा एवं तदनुसार राज्य सरकार डी.एफ.आई.डी. से भारत सरकार के माध्यम से प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकेगी; तदनुसार अग्रतर कार्रवाई कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा की जायेगी। सोसाइटी के द्वारा खर्च की गयी राशि का नैमासिक आधार पर प्रतिपूर्ति डी.एफ.आई.डी. द्वारा की जायेगी।

उपर्युक्त कार्यक्रम राज्य सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है एवं इस परियोजना से बहुत अपेक्षाएं राज्य सरकार को हैं। अतः उक्त सोसाइटी के प्रबंधन के लिये गठित शासी परिषद को राज्य सरकार द्वारा सोसाइटी के नियमावली के आलोक में आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां उपलब्ध होगी।

पूर्व में निर्गत एतद विषयक संकल्प संख्या 13512 दिनांक 24.12.2008 विलोपित किया जाता है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय । इसके द्वारा मंत्रिपरिषद् स्तरीय उप समिति के माननीय अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों/प्रोग्राम स्टीयरिंग कमिटी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों/सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से




1.6.2009

(आमिर सुबहानी)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-8/विविध 12-14/08का0- 5100 /पटना, दिनांक 2.6.09

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि इसकी 500 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय ।




1.6.2009

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-8/विविध 12-14/08का0- 5100 /पटना, दिनांक 2.6.09

प्रतिलिपि:- मंत्रिपरिषद् स्तरीय उप समिति के माननीय अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों/प्रोग्राम स्टीयरिंग कमिटी के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों/सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई कार्यार्थ प्रेषित ।



1.6.2009

सरकार के सचिव